राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

टैलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा/19/21591–786 दिनांक :– 21.5.19

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय:– विभागीय आदेश क्रमांक 18205 दिनांक 26.04.2019 द्वारा शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठकों में बजट घोषणा 2018–19 RUIRP-II के कार्यो के सन्दर्भ में दिये गये निर्देशो के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक 18205 दिनांक 26.04.2019 द्वारा शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता मे दिनांक 29.04.2019 से 16.05.2019 तक माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये आदेशों की पालना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत सीकर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग की बैठकों का आयोजन किया गया।

उक्त बैठकों में RUIRP-II से सम्बन्धित कार्यो की समीक्षा के दौरान शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निम्न निर्देश दिये गये है :–

1. जिन कार्यो के कार्यादेश जारी नही किये गये है उन कार्यो के कार्यादेश 07 जून 2019 तक जारी कर नियत समयान्तराल में पूर्ण करवाया जावें।
2. RUIRP-II के कार्य यथा अम्बेडकर भवन, आधुनिक शौचालय, श्मशान/कब्रिस्तान विकास एवं सड़क मरम्मत/पुनर्रूद्धार के कार्यो में यदि कोई भूमि विवाद, कोर्ट–स्टे आदि हो तो उनका समाधान 15 जून, 2019 से पूर्व कर लिया जावें यदि 15 जून 2019 तक कोई समाधान नही हो तो ऐसे कार्यो को निरस्त करके निदेशालय को सूचित करें।
3. RUIRP-II के कार्यो की प्रगति अभी भी गूगल ड्राईव पर प्रगतिरत दर्शाई हुई है जबकि उपरोक्त कार्यो के कार्यादेश अनुसार सभी कार्य पूर्ण हो जाने चाहिये। इसलिये कार्यो की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट गूगल ड्राईव पर अंकित किया जावें और जो कार्य अभी तक पूर्ण नही हुये है उन पर अनुबन्ध के अनुसार पेनल्टी लगायी जावे एवं आज तक प्रगतिरत/पूर्ण हुये कार्यो का भुगतान करके 7 दिवस में UC/CC भिजवायी जावें।

अतः बजट घोषणा वर्ष 2018–19 RUIRP-II के कार्यो के सन्दर्भ में उपरोक्त निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित करें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा/19/21787–21828 दिनांक :– 21.5.19

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स – 0141–2222403, ई–मेल:– dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक –एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 19/ 18205 दिनांक – 26/04/19

आदेश

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गए आदेशों की पालना मे ठोस अपशिष्ट प्रबधन नियम 2016 के अतर्गत उदयपुर, प्रतापगढ एवं डूंगरपुर को मॉडल सिटी/टाउन बनाने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के दृष्टिकोण से शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में नीचे दिये गए कार्यक्रम अनुसार बैठक का आयोजन किया जावेगा।

क्र. सं.	निकाय का नाम	दिनांक/समय	बैठक का स्थान
1.	सीकर	29.04.2019 सायं 2:30 बजे से	मॉडल सिटी/टाउन की बैठक। स्थान:–सीकर कलेक्ट्रेट सभागार।
2.	जयपुर	30.04.2019 सायं 3:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक	मॉडल सिटी/टाउन की बैठक। स्थान:–नगर निगम सभागार, जयपुर।
3.	अजमेर	13.05.2019 प्रातः 11:30 बजे से सायं 1:30 बजे तक	मॉडल सिटी/टाउन की बैठक।
		सायं 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक	अजमेर संभाग की सभी निकायों की समीक्षा। स्थान:– माध्यनिक शिक्षा बोर्ड सभागार, अजमेर।
4.	उदयपुर	15.05.2019 प्रातः 11:30 बजे से सायं 1:30 बजे तक	मॉडल सिटी/टाउन की बैठक।
		सायं 2:30 बजे से साय 4:30 बजे तक	उदयपुर संभाग की सभी निकायों की समीक्षा। स्थान:– नगर निगम उदयपुर, सभागार।
5.	डूंगरपुर, प्रतापगढ	16.05.2019 प्रातः 9:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक	डूंगरपुर कलेक्ट्रेट सभागार।

निदेशालय के अधिकारियों को टैक्सी/कार से जाने एवं आने की स्वीकृति एवं किराये का भुगतान संबंधित निकाय द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है जो मीटिंग के एक दिन पूर्व पहुंच कर तैयारियां करवायेंगे।

नगर निगम जयपुर, उदयपुर, अजमेर तथा नगर परिषद सीकर, डूंगरपुर, प्रतापगढ व पुष्कर विजिट से पूर्व माननीय एनजीटी के आदेशों के अनुरूप पालना रिपोर्ट तैयार करने, निदेशालय की टीम को साइट भ्रमण करवाने की व्यवस्था की सुनिश्चितता करेंगे।

साथ ही पूर्व से निर्धारित विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिन एजेण्डा पर समीक्षा होनी थी उसमें अजमेर संभाग एवं उदयपुर संभाग के समस्त निकाय उपरोक्त सारणी में प्रोग्राम के अनुसार उपस्थित होकर समीक्षा बैठक में भाग लेंगे।

क्षेत्रीय उप निदेशक उदयपुर एवं अजमेर अपने–अपने क्षेत्र की निकाय के एजेण्डा बिन्दुओं पर प्रगति रिपोर्ट/प्रजेन्टेशन प्रस्तुत करेंगे तथा बैठक से संबंधित समस्त तैयारियाँ जलपान/वर्किंग लंच इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम जयपुर, सीकर, डूंगरपुर एवं पुष्कर मॉडल सिटी/टाउन के बारे में प्रगति एवं समीक्षा बैठक की व्यवस्था करेंगे तथा शहर में चल रहे ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु व्यवस्थाओं का निरीक्षण करवायेंगे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/19/18806-419 दिनांक :– 21/04/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
5. मुख्य अभियंता, निदेशालय।
6. परियोजना निदेशक, निदेशालय।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता(एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट), निदेशालय।
8. अधिशाषी अभियंता, निदेशालय।
9. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर।
10. आयुक्त नगर निगम, जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर।
11. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त उदयपुर संभाग तथा अजमेर संभाग को भेजकर लेख है कि बैठक में संपूर्ण तैयारियों सहित उपस्थित होंगे।
12. टीम लीडर, पीएमयू, स्वच्छ भारत मिशन।
13. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर परिषद/नगर पालिका, सीकर, डूंगरपुर, प्रतापगढ एवं पुष्कर।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

Scanned by CamScanner